

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग (F)/स्वै0नि0/वी-16/2019/

दिनांक:-

सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

राजस्थान।

विषय:- महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रेषित निम्नांकित महिला स्वास्थ्य दर्शिकाओं के स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने के प्रस्ताव भिजवाये हैं के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/विविध./06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति पर अग्रिम आदेशों तक रोक होने के कारण इन्हे स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु शिथिलता प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है। निदेशालय के उक्त आदेश दिनांक 21.11.06 को रिव्यू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है निर्णय उपरान्त स्वैच्छिक सेवा निवृति प्रकरण भिजवायें :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी व पद एवं पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	स्वैच्छिक सेवानिवृति तिथि
1	वन्जा कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	31.07.19
2	जोली मैथ्यू महिला स्वास्थ्य दर्शिका,	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	31.07.19
3	शान्थाम्मा पी०ई०, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	31.07.19
4	मंजुबाला जोशी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	01.07.19
5	उषा पी वर्गिस, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	31.07.19
6	लूसी टी०के०, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर	01.08.19
7	विनीता मार्टिन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	01.08.19
8	मधु शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका,	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	01.08.19
9	देवा कुमारी यू, महिला स्वास्थ्य दर्शिका,	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	01.08.19

अतः उक्त कर्मचारी को आप अपने स्तर से सूचित/पाबन्द करें।



(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग (F)/स्वै0नि0/वी-16 /2019/1010

दिनांक:- 26/7/19

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर